वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2004

(आयकर)

का.आ. 107(अ).—~~जबकि~~ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उपधारा 15 के खंड (iv) के उपखंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने का.आ. 1293(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3(ii) में दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 को प्रकाशित अधिसूचना में 5 वर्ष की अवधि के लिए 9.50% प्रति वर्ष ब्याज वाले प्रत्येक एक लाख रुपये के नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी 240 करोड रुपये के "9.5 % कर मुक्त बंध पत्र" जिनकी विशिष्ट संख्या 1 से 24000 तक है (1 से 24869 तक की विशिष्ट संख्या वाले 248.69 करोड़ रुपये के 9.50% कर मुक्त बंध पत्रों में से) को विनिर्दिष्ट किया था।

अत: आयकर अधिनियम, 1961 के उपर्युक्त प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए तथा 9.50% प्रति वर्ष ब्याज वाले प्रत्येक एक लाख रुपये के शेष 9.50% कर मुक्त बंध पत्रों, जिनकी विशिष्टि संख्या 24001 से 24869 तक है, की शेष 8.69 करोड़ रुपये की राशि को 5 वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है :

बशर्ते उक्त धारा के अन्तर्गत यह लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बंध पत्रों का धारक अपना नाम तथा धृति उपर्युक्त कार्पोरेशन के साथ पंजीकृत कराता है।

[अधिसूचना सं. 27/2004/फा. सं. 178/40/2002-आई.टी.ए. I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव